

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/22/19/ 7792
SPMCIL/VIG/22/19/

दिनांक 18.06.2020

Date 18.06.2020

23

परिपत्र संख्या 01/20/Circular No. 01/20

विषय/Sub:- बैंक गारंटी की पुष्टि के संदर्भ में/ Confirmation of Bank Guarantee - reg.

एक इकाई में सीटीई के संचालन के दौरान, यह देखा गया कि जारीकर्ता बैंक से बैंक गारंटी की पुष्टि नहीं की गई थी। बैंक गारंटी की पुष्टि न होने का यह मुद्दा पिछले कई अन्य मामलों में भी देखा गया है। इस संबंध में, सभी संबंधितों को जारीकर्ता बैंक से बैंक गारंटी की पुष्टि प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है क्योंकि बैंक गारंटी को संगठन के हितों की रक्षा के लिए लिया जाता है, ताकि अगर आपूर्तिकर्ता सभी अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो को बैंक गारंटी जब्त किया जा सके। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

During conduction of CTE in one of the unit, it was observed that bank guarantee was not confirmed from the issuing bank. This issue of non-confirmation of Bank Guarantee has been seen in many other cases also in the past. In this regard, all concerned are hereby directed to get confirmation of the bank guarantee from the issuing bank as Bank Guarantee is taken to safeguard the interest of the organization so that same can be forfeited in case supplier doesn't fulfill all the contractual obligations. If these guidelines continues to be flouted in future, it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite vigilance angle.

2. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

2. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.


सूचना विभाग पुष्टि संख्या 2 पर जारी -

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/22/19/ 772
SPMCIL/VIG/22/19/

दिनांक 18.06.2020
Date 18.06.2020
23

-2-

3. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
3. This issues with the approval of Competent Authority.


18.6.20

(सुनील तिवारी)/(Sunil Tiwari)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक/CMD.
2. निदेशक (तकनीकी/मा.स./वित्त)/Director (Tech/HR/Fin).
3. महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/
GMs/AGMs/Joint GMs/DGMs (CHO).
4. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
5. सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.